कार्यालय नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन, छत्तीसगढ
इन्द्रावती भवन, नया रायपुर
ब्लाक–1, चतुर्थ तल, इंद्रावती भवन, नया रायपुर, 492002

टैली / फैक्स नं.– 0771–2235226

क्रमांक / स्थापना–1 / 2015 रायपुर दिनांक ....

विज्ञापन

खण्ड – अ

छत्तीसगढ शासन, कार्यालय नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन, छत्तीसगढ़, नया रायपुर के अधीन निम्नलिखित सीधी भर्ती के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु छत्तीसगढ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, रायपुर द्वारा निर्धारित ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है :–

सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पदों का विवरण इस प्रकार है :–

क्र.	पद का नाम	रिक्त पदों की संख्या	अनारक्षित					अनुसूचित जनजाति					अनुसूचित जाति					अन्य पिछड़ा वर्ग				
			कुल	मुक्त	महिला	भू.पू.से.	निःशक्तजन	कुल	मुक्त	महिला	भू.पू.से.	निःशक्तजन	कुल	मुक्त	महिला	भू.पू.से.	निःशक्तजन	कुल	मुक्त	महिला	भू.पू.से.	निःशक्तजन
01	औषधि निरीक्षक	**91**	**38**	21	11	04	02	**30**	16	09	03	02	**11**	07	03	01	00	**12**	06	04	01	01
02	खाद्य सुरक्षा अधिकारी	**71**	**30**	16	09	03	02	**23**	13	07	02	01	**08**	05	02	01	00	**10**	05	03	01	01
03	नमूना सहायक	**70**	**29**	15	09	03	02	**23**	11	09	02	01	**08**	05	02	01	00	**10**	05	03	01	01
	कुल योग	**232**	**97**	**52**	**29**	**10**	**06**	**76**	**40**	**25**	**07**	**04**	**27**	**17**	**07**	**03**	**01**	**32**	**16**	**10**	**03**	**03**

नोटः– 1. निःशक्तजनों हेतु आरक्षित पदों में एक पद आरक्षित होने पर दृष्टिबाधित के लिये तथा दो पद होने पर दृष्टिबाधित एवं श्रवणबाधित वर्ग में समान रूप से आरक्षित होगा।

2. सरल क्रमांक 1 के अनुसार आरक्षित अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर अस्थिबाधित वर्ग के अभ्यर्थी पात्र होगे एवं कालान्तर में चक्रानुक्रम में अन्य वर्ग को लाभ दिया जायेगा।

3. पदो की संख्या घट या बढ़ सकती है।

ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रारंभिक तिथि – 12.02.2015
ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि – 26.02.2015 ,रात्रि 11.59
ऑफलाइन (ICICI, SBI Bank के चालान द्वारा) पेमेन्ट – 27.02.2015 को बैंक के कार्यालयीन समय तक

परीक्षा तिथि –खाद्य सुरक्षा अधिकारी – 15.03.2015 पूर्वान्ह 9.00 से 12.15
नमूना सहायक – 15.03.2015 अपरान्ह 3.00 से 5.15
औषधि निरीक्षक – 29.03.2015 पूर्वान्ह 9.00 से 12.15

परीक्षा शुल्क – सामान्य वर्ग – 450/–
अन्य पिछड़ा वर्ग – 350/–
अनुसूचित जाति/जनजाति/निःशक्तजन –300/–

यदि कोई अभ्यर्थी एक से अधिक पद हेतु आवेदन करना चाहे, तो प्रत्येक पद हेतु पृथक ऑनलाइन आवेदन करना होगा तथा पृथक–पृथक शुल्क भी देय होगा ।

वेतनमान, न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता एवं तकनीकी योग्यता :–

क	पदनाम	वेतनमान + ग्रेड पे	आयु सीमा		शैक्षणिक अर्हता एवं तकनीकी योग्यता
			न्यूनतम	अधिकतम	
01	औषधि निरीक्षक	9300–34800+4300	21 वर्ष	30 वर्ष	औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1945 के नियम 49 के प्रावधानों के अधीन औषधि निरीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए विहित अर्हता रखते हो, जो कि निम्न है – भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी मान्यता प्राप्त वि"वविद्यालय से फार्मेसी अथवा फार्मास्यिटिकल साइसेस में स्नातक अथवा मडिसिन में स्नातक के साथ क्लिनिकल फार्माकालोजी या माइक्रो बायलाजी में विशेषज्ञता। ("A person who is appointed as inspector under the Act shall be a person who has Degree in pharmacy or Pharmaceuticls Sciences or Medicine with specialisation in Clinical Pharmacology or Microbiology from a University established in India by law.")
02	खाद्य सुरक्षा अधिकारी	5200–20200+2800	21 वर्ष	30 वर्ष	(एक) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से खाद्य पोद्योगिकी या डेयरी प्रौद्योगिकी या जैव प्रौद्योगिकी या तेल प्रौद्योगिकी या कृषि विज्ञान या पशु चिकित्सा विज्ञान या जैव रसायन विज्ञान या सूक्ष्म जीव विज्ञान म डिग्री या रसायन विज्ञान में मास्टर डिग्री, या मेडिसिन में डिग्री, या (दो) केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित कोई अन्य समतुल्य/ मान्यता प्राप्त अर्हता, तथा (तीन) खाद्य प्राधिकरण द्वारा इस प्रयोजन के लिये यथा विनिर्दिष्ट किसी संस्था या संस्थान के अधिन प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो।

03	नमूना सहायक	5200–20200+1900	18 वर्ष	30 वर्ष	माध्यमिक शिक्षा मण्डल या शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से (10+2) परीक्षा के अंतर्गत विज्ञान संकाय में हायर सकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण । 2. मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला में अनुभव को अधिमान्यता।

टीप :– **छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी अभ्यर्थियो के लिए उच्चतर आयु सोमा समय–समय पर शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अधिसूचना अनुसार शिथिलनीय होगी।**

व्यापम का दायित्व मात्र परीक्षा आयोजित कर परीक्षा परिणाम जारी करनें तक सीमित रहेगा। मेरिट के आधार पर चयन/नियुक्ति की प्रक्रिया विभाग द्वारा की जावेगी।

त्रुटि सुधार के लिए हार्ड कॉपी/सॉफ्ट कॉपी में भेजा गया कोई भी आवेदन व्यापम द्वारा स्वीकार नहीं किया जावेगा । आवेदन पत्र एवं ओ.एम.आर. उत्तरशीट की प्रविष्टियों में अंतर पाये जाने पर उत्तरशीट की प्रविष्टियों के आधार पर परीक्षा परिणाम जारी किया जावेगा । परीक्षा के दिन उत्तरशीट में (Answer Sheet) में श्रेणी (Category), वर्ग (Class), जन्म् तिथि (Date Of Birth) आदि में की गई प्रविष्टियों के आधार पर ही परीक्षा परिणाम जारी किये जायेगें । परीक्षा के पूर्व या परीक्षा परिणाम के बाद त्रुटि सुधार संबंधी कोई भी अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जावेगा ।

आवेदन पत्र भरने से पहले आवश्यक दिशा निर्देशों को अत्यंत सावधानी से पढ़ें तथा सेम्पल फार्म (नमूना आवेदन पत्र) का अवलोकन करें ।

आयु सीमा :– दिनांक **01 जनवरी 2015** को आवेदक उपयुक्त तालिका में उल्लेखित न्यूनतम आयु पूर्ण कर लिये हो तथा अधिकतम आयु पूर्ण न किये हा ।

भर्ती के नियम एवं शर्ते :–

1. छत्तीसगढ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्ते) नियम 1961 के नियम 6 के अनुसार नियुक्ति के लिये वह उम्मीदवार अपात्र होगा जो निम्न में से कोई हो :–

   (अ) पुरूष उम्मीदवार जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हो, इसी प्रकार महिला उम्मीदवार जिसने ऐसे ब्यक्ति से विवाह किया हो जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित हो। ऐसे मामले में शासन ही अन्यथा निर्णय ले सकता है। अर्थात् यदि शासन का इस बात से समाधान हो जाये कि ऐसा करने का पर्याप्त कारण है, तो वह इस पतिबंध से छूट दे सकता है।

   (ब) जो शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ्य नहीं पाया जाये।

   (स) जिसने विवाह के लिये निर्धारित न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, नियुक्ति के लिये पात्र नहीं हागा ।

(द) कोई भी अभ्यर्थी जिसकी दो से अधिक जीवित संतान हैं, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके प"चात् हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा । परन्तु कोई भी अभ्यर्थी, जिसकी पहले से एक जीवित संतान है तथा आगामी प्रसव 26 जनवरी, 2001 को या उसके प"चात् हो, जिसमें दो या दो से अधिक संतान का जन्म होता है, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए निरर्हित नहीं होगा।

2. यह सुनिश्चित करने का दायित्व आवेदक के स्वयं का होगा कि वे आवेदित पद के लिए निर्धारित समस्त अर्हताओं को पूर्ण करते हो। अतः आवेदन करने से पहले उम्मीद्वार अपनो अर्हताओं की जांच स्वयं कर ले एवं अर्हताओं की समस्त शर्तो के पूरा करने पर ही आवेदन करें। चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अयोग्य पाये जाने पर उसका आवेदन निरस्त कर उम्मीद्वारी निरस्त की जावेगी।
3. यदि खाद्य सुरक्षा अधिकारी के लिये निहित अहर्ता में उल्लेखित सरल क्रमांक (तीन) के अनुसार किसी अभ्यर्थी द्वारा प्रशिक्षण की अहर्ता न होने की स्थिति में चयन उपरांत उक्त अभ्यर्थी को विभाग द्वारा प्रशिक्षण प्रदाय किया जायेगा तथा जिसमें सफल होने पर ही खाद्य सुरक्षा अधिकारी पद पर नियुक्ति दी जायेगी।

नियुक्ति हेतु चयन विधि :–

1. उपरोक्त पदों पर चयन हेतु एक लिखित परीक्षा छत्तीसगढ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, रायपुर द्वारा आयोजित की जायेगी। लिखित परीक्षा के अंको के आधार पर अंतिम मेरिट निर्धारित की जायेगी।

परीक्षा केन्द्र :–
रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, जगदलपुर एवं अम्बिकापुर में परीक्षा केन्द्र होंगे। तद्नुसार परीक्षार्थी किसी एक शहर का चयन कर संबंधित कोड नम्बर पर गोला लगावे।

परीक्षा पद्धति :–

(अ) **औशधि निरीक्षक** पद हेतु 150 अंक का एक प्र"न पत्र होगा जिसमें कुल 150 प्र"न होंगे, जिसकी समयावधि 3.00 घंटे की होगी ।

(ब) **खाद्य सुरक्षा अधिकारी** पद हेतु 150 अंक का एक प्र"न पत्र होगा जिसमें कुल 150 प्र"न होंगे, जिसकी समयावधि 3.00 घंटे की होगी ।

(स) **नमूना सहायक** पद हेतु 100 अंक का एक प्र"न पत्र होगा, जिसमें कुल 100 प्र"न होंगे, जिसकी समयावधि 2.00 घंटे की होगी । प्रत्येक प्रश्नपत्र में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ होंगे, जिसके चार विकल्प में से एक विकल्प सही होगा, सही विकल्प पर उत्तरशीट में नीले/काले डॉट पेन से गोला लगाना होगा।

पाठ्यकम :– पाठ्यक्रम एवं अन्य विवरण व्यापम की वेबसाइट **cgvyapam.choice.gov.in** पर उपलब्ध होगा।

मूल्यांकन पद्धति :–औषधि निरीक्षक एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी पद हेतु प्रत्येक प्रश्न का सही उत्तर अंकित करने पर 1 अंक दिये जायेंगे । ऋणात्मक मूल्यांकन पद्धति होने के कारण पत्येक गलत उत्तर अंकित करने पर 1/4 अंक काट लिया जायेगा ।

नमूना सहायक पद हेतु प्रत्येक प्र"न का सही उत्तर अंकित करने पर 1 अंक दिये जायेंगे । ऋणात्मक मूल्यांकन पद्धति होने के कारण प्रत्येक गलत उत्तर अंकित करने पर 1/4 अंक काट लिया जायेगा ।

2. योग्य उम्मीदवारों का चयन मेरिट के आधार पर विभागीय चयन समिति द्वारा किया जायेगा। अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्रों की जांच (सत्यापन) का कार्य नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, नया रायपुर द्वारा नियुक्ति के पूर्व कराया जायेगा। प्रमाण पत्र त्रुटिपूर्ण पाये जाने पर उम्मीदवार का चयन निरस्त किया जा सकेगा।
3. चयन प्रकिया के किसी भी चरण में यह पाया जाता है कि किसी उम्मीद्वार द्वारा राजनैतिक दबाव डलवाया जा रहा है या निष्पक्ष चयन प्रकिया को प्रभावित किया जा रहा है तो उसका आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जावेगा एवं चयन के किसी भी स्तर पर उसकी उम्मीद्वारी निरस्त कर दी जावेगी।
4. आवेदित पद पर चयनित होने मात्र से नियुक्ति का अधिकार प्राप्त नहीं होगा। अंतिम रूप से नियुक्ति रिक्त पदों की वास्तविक उपलब्धता अन्य आवश्यक प्रक्रिया/प्रशिक्षण/मापदण्डों पर निर्भर करेगी।
5. समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में अभ्यर्थियों को जन्मतिथि को आधार मानकर आपसी वरीयता दी जायेगी, जिन अभ्यर्थियों की उम्र अधिक होगी उन्हे वरीयता प्रदान की जावेगी।
6. चयन हेतु आयोजित किसी भी स्तर की निर्धारित परीक्षाओं हेतु उम्मीद्वारों को परिवहन एवं अन्य भत्ता देय नहीं होगा।
7. उपरोक्त पदों पर भर्ती के दौरान उत्पन्न किसी भी विवाद एवं समस्या की स्थिति में निर्णय लेने का अंतिम अधिकार, नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन, छत्तीसगढ नया रायपुर को होगा।
8. चयन प्रक्रिया व पदस्थापना पूर्व आवेदक की अर्हता एवं अन्य शर्ते उपयुक्त नहीं पाये जाने पर चयन /नियुक्ति से निरस्त करने का अधिकार नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, छत्तीसगढ़ नया रायपुर को होगा।
9. पदों का आरक्षण शासन द्वारा समय–समय पर जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप होगा।
10. उक्त पद हेतु प्रतीक्षा सूची भी जारी की जावेगी, जिसकी वैधता सूची जारी किये गये दिनांक से एक वर्ष तक के लिए रहेगी।
11. शासकीय सेवा/मान्यता प्राप्त संस्था में कार्यरत आवेदक को नियोक्ता अधिकारी से चयन के पूर्व अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
12. नियोक्ता को यह अधिकार है कि वह बिना किसी कारण बताये चयन प्रक्रिया को निरस्त कर सकता है।
13. यदि किसी आरक्षित अथवा अनारक्षित वर्ग में महिलाओं के लिए उपरोक्तानुसार आरक्षित पद उपयुक्त महिला अभ्यर्थी के अभाव के कारण चयन न होने के रिक्त रह जाते है तो ऐसे रिक्त पद अग्रणित (केरिफार्वड) नहों किये जायेंगे, वरण उसी प्रवर्ग के पुरूष उम्मीद्वार के चयन द्वारा भरे जा सकेंगे, जिस प्रवग के लिए आरक्षित है।
14. निःशक्तजन एवं भूतपूर्व सैनिक के पद के विरूद्ध सामान्य, अनुसूचित जाति, अनूसूचित जनजाति एंव अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोडकर) में जिस श्रेणी का आवेदक होगा उसे होरिजेन्टल आरक्षण के कारण उस श्रेणी के अंतर्गत माना जायेगा।
15. भर्ती से संबंधित समय–समय पर शासन द्वारा जारी निर्देश स्वतः लागू होंगे।

16. सेवा में सीधी भर्ती से चयनित प्रत्येक अभ्यर्थी को दो वर्ष की कालावधि के लिए परीवीक्षा पर नियुक्त किया जावेगा।

17. चयनित उम्मीदवारों को जिला चिकित्सालय के चिकित्सा बोर्ड से स्वास्थ्यता (फिटनेश) प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात ही सेवा में लिया जायेगा।

18. चयनित उम्मीदवारों द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात् विभाग द्वारा पुलिस वेरफिकेशन (चरित्र सत्यापन) कराया जायेगा।

नोट – भाग –ब परीक्षा संचालन सम्बंधी व्यापम का नियम तथा भाग–स परीक्षा पाठ्यक्रम, व्यापम की वेबसाइट cgvyapam.choice.gov.in पर देखा जा सकता है ।

नियंत्रक
खाद्य एवं औषधि प्रशासन
छत्तीसगढ, नया रायपुर